राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ

चलती ट्रेन में स्कोर्ट कर्मियों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने के सम्बन्ध में कार्य योजना - 2015

वर्तमान समय में राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा लगभग 882 ट्रेनों में प्रतिदिन स्कोर्ट भेजा जाता है। चलती ट्रेन में होने वाली घटनाओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की **प्रकिया को सरल बनाने के उद्देश्य से स्कोर्ट कर्मियों के माध्यम से पीड़ित व्याक्ति से तहरीर प्राप्त कर** उससे अगले स्टेशन जहां कि ट्रेन पर्याप्त समय के लिए रूकती हो, वहां पर **अपराध पंजीकृत करने के लिए** तहरीर हस्तगत करने का दायित्व दिया जा रहा है।

चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों पर तत्काल कार्यवाही के उद्देश्य से इस प्रक्रिया के तहत स्कोर्ट पार्टी को एक रसीद पुस्तिका दी जा रही है। यह

राजकीय रेलवे पुलिस उ0प्र0 द्वारा चलती ट्रेन में होने वाली घटनाओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से 15.02.2015 से एक **कार्य योजना** प्रारम्भ की गई है। इस कार्य योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है:-

1 - इस प्रक्रिया के तहत स्कोर्ट पार्टी को एक शिकायत रसीद पुस्तिका दी जा रही है।

2- स्कोर्ट पार्टी द्वारा शिकायतकर्ता से शिकायत प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उसे दी गई रसीद पुस्तिका पर 03 प्रतियो (triplicate) में रसीद बनाई जाएगी।

3- प्रथम सफेद रसीद की प्रति स्कोर्ट कर्मियों को अपने मूल थाने पर वापसी के समय जमा करनी होगी।

4- दूसरी **गुलाबी रंग की स्लिप शिकायतकर्ता को दे दी जाएगी।**

5- तीसरी **हरे रंग की स्लिप** स्कोर्ट कर्मियों के मार्ग में **ठीक अगले थाने को शिकायत दर्ज करने हेतु** दे दी जाएगी तथा पहली सफेद रंग की स्लिप के पीछे बने प्रारूप पर शिकायत दर्ज करने वाले थाने द्वारा हस्ताक्षर करा कर प्राप्ति प्राप्त की जाएगी।

6- **शिकायत दर्ज करने वाले थाने द्वारा** पीड़ित व्यक्ति की सूचना पर **तत्काल एफ0आर0आर0 पंजीकृत** करते हुए उसकी सूचना घटनास्थल वाले थाने को भी दे दी जाएगी।

7- **घटनास्थल वाले थाने द्वारा** उक्त एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में **तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ** कर दी जाएगी।

8- इस प्रकार रेल यात्रियों द्वारा अपनी **शिकायत दर्ज कराने हेतु उसे ट्रेन छोड़ने की आवश्यकता नहीं** होगी और यह **सुविधा उसे जी0आर0पी0 स्कोर्ट कर्मियों के माध्यम से** प्राप्त हो जाएगी।

9- स्लिप में ऊपर दाहिनी बने 10 छोटे बाक्स से पहले व दूसरे बाक्स में अंकित **a** व **b में वर्ष अकिंत किया जायेगा। उदाहरण स्वरूप वर्ष 2015 को निम्न प्रकार से अकिंत किया जायेगा।**

a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*
1	**5**								

10- अकिंत 10 छोटे बाक्स के तीसरे बाक्स में अंकित c में अनुभाग को कोड अकिंत किया जायेगा। जिनके कोड नीचे अकिंत सूची के अनुसार आवंटित किये जायेगें । उदाहरण स्वरूप वर्ष 2015 का लखनऊ अनुभाग को निम्न प्रकार से अकिंत किया जायेगा।

a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*
1	**5**	**1**							

अनुभाग कोड

कसं	**अनुभाग**	**कोड**
1	लखनऊ	1
2	गोरखपुर	2
3	मुरादाबाद	3
4	आगरा	4
5	इलाहाबाद	5
6	झॉसी	6

11- इसी प्रकार चौथे व पॉचवे में क्रमशः **d व e अंकित** किया गया है, जिसमें अनुभाग के सम्बन्धित **थाने का कोड** अंकित किया जाएगा, जिनके कोड नीचे अंकित सूची के अनुसार आवंटित किए जाएंगे। यह **तीनों कार्य पुलिस अधीक्षक रेलवे द्वारा रसीद बुक जारी करने के समय** किया ।एगा। उदाहरणस्वरूप **वर्ष 2015 का लखनऊ अनुभाग के चारबाग थाने हेतु** निम्न प्रकार से अंकित किया जाएगा।

12 अंकित 10 बाक्स के छठे व सातवें बाक्स में f **व** g **अंकित** किया गया है। इन बाक्स में रसीद बुक संख्या अंकित की जाएगी, जिसमें **कमांक 01 से 99 तक** की संख्या कमानुसार अंकित की जाएगी।अंतिम आठवें, नवें व दसवें बाक्स में **ीए प व र अंकित** किया गया है, जिसमें थाने द्वारा ही कमानुसार **कसं 001 से 999 तक 03-03 के सेट में** संख्या आवंटित की जाएगी। थाने द्वारा रसीद बुक जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि रसीद बुक में पहले से ही अंकित 10 बाक्स में **सभी संख्यायें समुचित प्रकार से भरी हुई हों।** साथ ही रसीद बुक से **सभी पन्नों पर थाने की मुहर** निर्धारित स्थान पर लगी हो, जिसमें थाने जारी किए जाने वाले **थाने का नाम, फोन नं0 व मोबाइल नं0 अंकित** हो। यह कार्य सम्बन्धित थाने द्वारा स्कोर्ट को रसीद बुक जारी करने के समय अंकित किया जाएगा। उदाहरणस्वरूप **वर्ष 2015 में अनुभाग लखनऊ के थाना जीआरपी चारबाग द्वारा पहली रसीद बुक जारी करने के समय एवं प्रथम शिकायत दर्ज होने पर** जारी होने वाली रसीद में निम्न प्रकार से कमांक अंकित हों।

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	5	1	0	1	0	1	0	0	1

जारी करने वाले थाने की प्रति

Issuing Police Station copy

व	र्ष	अनु	था	ना	बु	क	सं	शि	सं

जीआरपी उत्तर प्रदेश

जीआरपी नियंत्रण कक्ष उ0प्र0 लखनऊ, **Ph 0522-2288103, 9454402544**

(GRP Control Room, UP, Lucknow)

स्कोर्ट कर्मियों द्वारा शिकायतकर्ता से वार्ता कर भरा जाए

(to be filled in by the escort party in consultation with the complainant)

दिनांक/**Date** ________________________ समय/**Time**______________________

1-नाम वादी/ **Name of complainant** ____________________________________

2-पता/ **Address** ______________________________________ ____

3-पहचान पत्र का विवरण,प्रति/ **Identity of complainant** ______________

4-संपर्क नं0 व ई-मेल आईडी/ **Contact Number & email ID** ____________

____

5-सहयात्री का नाम,पता,संपर्क नं0/**Name of co-traveler, Address, Contact No.**

____

6-ट्रेन का नाम व ट्रेन नं0/ **Train Name & Number** ________________

7-घटनास्थल/ **Place of Crime**____

8-श्रेणी, वर्थ व कोच नं0/**Class,Berth & Coach No.**_______________________

9-पीएनआर,टिकट सं/ **PNR, Ticket No** ________________________

10-घटना का संक्षिप्त विवरण/ **Brief of complaint** _________________________

____

____

____

____

हस्ताक्षर शिकायतकर्ता/Sign. of complainant

हस्ताक्षर स्कोर्ट/Signature of escort

नाम/

Name __________________

PNO No_____________________

जारी किए जाने वाले थाने की मुहर व सीयूजी नं0

seal&CUG NO of issuning police station